न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– कुसुम सुत्रकार, RJS,

सेशन प्रकरण संख्याः– 31/2025

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः– 93/2025, पुलिस थाना–नावां सिटी

CNR Number : RJDK050006412025

राजस्थान राज्य **——अभियोगी**

बनाम

सुखाराम पुत्र हनुमानराम उम्र 24 साल निवासी बावरियों की ढाणी खारडिया हाल मजदूर कॉलोनी नावां शहर पुलिस थाना नावां शहर जिला डीडवाना कुचामन।

——अभियुक्त

उपस्थितिः–

01. राज्य की ओर से – श्री मनीष शर्मा, अपर लोक अभियोजक।
02. अभियुक्त की ओर से – श्री श्याम सुन्दर चौहान, अधिवक्ता।

अपराध की दिनांक	14.04.2025
एफआईआर दर्ज कराने की दिनांक	18.04.2025
आरोप पत्र पेश करने की दिनांक	06.10.2025
आरोप विरचित करने की दिनांक	17.11.2025
साक्ष्य प्रारम्भ होने की दिनांक	01.12.2025
बहस अंतिम की दिनांक	11.8.2026
निर्णय दिनांक	11.8.2026
दण्डादेश की दिनांक (यदि हो तो)	–

Form 'B'

अभियुक्त का विवरण :–

क.स.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत की दिनांक	अपराध धारा	दोषमुक्त या दोषसिद्ध
1.	सुखाराम	17.6.2025	–	62 (2), (ट), 351(2) भारतीय न्याय संहिता	दोषमुक्त

Form 'C'

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के साक्षीगण की सूचीः–

(अ) अभियोजन साक्षीः–

क.स.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
01.	नरेश कुमार	पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज करने का साक्षी
02.	पी0ड0 02	पीड़िता का पति
03.	संदीप	औपचारिक साक्षी
04.	महेन्द्र	औपचारिक साक्षी
05.	गुंजन कुमार	औपचारिक साक्षी
06.	डॉ अशोक	चिकित्सीय साक्षी (अभियुक्त के परीक्षण के संबंध)
07.	सुनिल	औपचारिक साक्षी
08.	डॉ चरण सिंह	चिकित्सीय साक्षी (पीड़िता के परीक्षण के संबंध)
09.	डॉ अनिता	चिकित्सीय साक्षी (पीड़िता के परीक्षण के संबंध)
10.	पी0ड0 10	पीड़िता का जेठ
11.	पी0ड0	पीड़िता की सास
12.	श्रीमती कामाक्षी	न्यायिक अधिकारी(183 बीएनएसएस के बयान)
13.	नन्दलाल	अनुसंधान अधिकारी
14.	शंकरलाल	मालखाना इंचार्ज
15.	''पीड़िता''	शून्य

(ब) प्रतिरक्षा साक्षी– निल

(स) न्यायालय साक्षी– निल

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के दस्तावेजात की सूचीः–

(अ) अभियोजन दस्तावेजातः–

क.स.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01.	प्रदर्श पी 1	लिखित रिपोर्ट
02.	प्रदर्श पी 2	चॉक एफआईआर
03.	प्रदर्श पी 3	आपराधिक विवरण फार्म
04.	प्रदर्श पी 4	आपराधिक पेशकशी विशलेषण पैन ड्राईव
05.	प्रदर्श पी 5	फर्द गिरफ्तारी
06.	प्रदर्श पी 6	फर्द तस्दीक घटनास्थल
07.	प्रदर्श पी 7	अभियुक्त सुखाराम की मेडिकल रिपोर्ट
08.	प्रदर्श पी 8	''पीड़िता'' की मनोचिकित्स्क परीक्षण रिपोर्ट
09.	प्रदर्श पी 9	डिस्चार्ज टिकट
10.	प्रदर्श पी 10	''पीड़िता'' की मेडिकल रिपोर्ट बाबत दी गई तहरीर

11.	प्रदर्श पी 11	''पीड़िता'' की मेडिकल रिपोर्ट
12.	प्रदर्श पी 12	धारा 63(4)(ग) साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
13.	प्रदर्श पी 13	मोबाईल पेश करने संबंधी पत्र
14.	प्रदर्श पी 14	''पीड़िता'' के धारा 183 बीएनएसएस के बयान
15.	प्रदर्श पी 15	आदेशिका
16.	प्रदर्श पी 16	एसीजेएम को भेजा गया पत्र
17.	प्रदर्श पी 17	थानाधिकारी नावां का प्रेषित पत्र
18.	प्रदर्श पी 18	लिफाफा
19.	प्रदर्श पी 19	''पीड़िता'' का मंदबुद्धि के संबंध में चिकित्सीय परीक्षण हेतु दी गई तहरीर
20.	**प्रदर्श पी 20 से 22**	चिकित्सीय बोर्ड गठन का आदेश
21.	प्रदर्श पी 23	पैन डाईव
22.	प्रदर्श पी 24	अभियुक्त सुखाराम का पुरूषतत्व संबंधी परीक्षण करने के संबंध में दी गई तहरीर,
23.	प्रदर्श पी 25	धारा 23 (2) साक्ष्य अधिनियम की सूचना
24.	प्रदर्श पी 26	एफएसएल हेतु प्रेषित पत्र
25.	प्रदर्श पी 27	पावती रसीद
26.	प्रदर्श पी 28	एफएसएल रिपोर्ट
27.	प्रदर्श पी 29 से 33	शील्डशुदा कपड़े की थैली
28.	प्रदर्श पी 34	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि दस्तावेजात

(ब) <u>प्रतिरक्षा दस्तावेजातः–</u>

क्र. सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श डी–1	सूचना का अधिकार अधिनियम से प्राप्त सूचना
02	प्रदर्श डी–1ए **(सहवन से डी–1 अंकित किया गया है)**	परसाराम के धारा 180 बीएनएसएस के बयान
03	प्रदर्श डी–2	गौरीशंकर के धारा 180 बीएनएसएस के बयान
04	प्रदर्श डी–3	गौरीशंकर द्वारा थानाधिकारी को दिया गया प्रार्थना–पत्र
05	प्रदर्श डी–3ए **(सहवन से डी–3 अंकित किया गया है)**	श्रीमती भॅवर देवी के धारा 180 बीएनएसएस के बयान

(स) न्यायालय दस्तावेजातः– निल

(द) आर्टिकल्स की सूचीः–

क्र. स.	आर्टिकल नंबर	विवरण
01	आर्टिकल–1	पैन ड्राईव
02	आर्टिकल–2	गॉज
03	आर्टिकल–3	अभियुक्त के खून लगी हुई गॉज
04	आर्टिकल–4 व 05	प्लास्टिक की दो डिब्बियां
05	आर्टिकल–6	अभियुक्त का अण्डरवीयर
06	आर्टिकल–7	एफटीए कार्ड
07	आर्टिकल–8	''पीड़िता'' का घाघरा
08	आर्टिकल–9	''पीड़िता'' की कुर्ती
09	आर्टिकल–10	''पीड़िता'' की कांचली

अपराध अन्तर्गत धारा 64 (2)(ट), 351(2) भारतीय न्याय संहिता

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–11.08.2026

1. हस्तगत प्रकरण भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(ट) से संबंधित है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिशा–निर्देशों के अनुपालन में, पीड़िता की गोपनीयता एवं पहचान सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत निर्णय में पीड़िता को ''(च)'' के रूप में संबोधित किया गया है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 18.04.2025 को प्रार्थी ने उपस्थित थाना कुचामन सिटी होकर एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 इस आशय की पेश की कि वह एक पैर से दिव्यांग है। वह पिछले पांच महीनों से फतेहपुर, जिला सीकर में रहकर खेती–बाड़ी का कार्य कर रहा है। दिनांक 17.04.2025 को शाम के करीबन 7.00 बजे वह नावां स्थित घर पहुॅचा। उसकी पत्नी '(च)'' मानसिक रूप से कमजोर (मनबुद्धि) है, जिसे साथ रखकर वह अपने और अपने बच्चों का जीवन–यापन कर रहा है। दिनांक 14.04.2025 को रात्रि के करीबन 11.09 बजे, सुखाराम उसकी पत्नी ''(च)'' का हाथ पकड़कर बावलियों में ले गया तथा उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। सुखाराम द्वारा किए गए कृत्य का वीडियो उसके

भाई ने मोबाईल से बना लिया, जिसके बाद सुखाराम वहां से भाग निकला। सुखाराम द्वारा उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म करने के पश्चात् उसे लगातार धमकियॉ दी गई... इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना, कुचामन सिटी पर प्रथम सूचना संख्या 93/2025 संस्थित की गई। बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त सुखाराम के विरूद्ध अपराध धारा 64(2)(ट), 351(2) भारतीय न्याय संहिता के आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाये जाने पर आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, नावां ने मामला अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण इस न्यायालय को कमिट किया।

4. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को आरोप अन्तर्गत धारा 64(2)(ट), 351(2) भारतीय न्याय संहिता पृथक से विरचित कर सुनाये एवं समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्ष्य में कुल **15 गवाहों** को परीक्षित करवाया गया तथा कुल **34 दस्तावेजों** को प्रदर्शित करवाया गया है।

6. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के पश्चात् अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 351 बी.एन.एस. लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त ने स्वयं के निर्दोष होने, तथा रंजिश के कारण उसके विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करवाये होने के कथन किए है। अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नहीं करना जाहिर किया। बचाव पक्ष की ओर से दस्तावेज को प्रदर्शित करवाये।

7. बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

8. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट कथित घटना के पांच दिन पश्चात् देरी से पेश की गई है, जिसमें अभियुक्त का पीड़िता के साथ दुष्कर्म करते हुए दृश्यमान नहीं है। पीड़िता की सास ने घटना को देखने में शामिल होना बताया है, परन्तु पीड़िता के जेठ ने इस गवाह का उसके साथ होने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 में कंटीली झाड़ियां

एवं कंकड–बवलियां दर्शायी गई हैं, परन्तु पीड़िता के शरीर पर, विशेषकर पीठ पर, चोट आदि के निशान मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श–11 में दर्शित नहीं है, जिसके सम्बन्ध में पी0ड0–9 डॉ0 श्रीमती अनिता कुमारी ने भी साक्ष्य दी है। गवाह पी0ड0–5 गुंजन कुमार ने प्रकरण में लिए गए 07 पैकेटों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा कराने के कथन किए हैं, जबकि मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी–34 में तीन आर्टिकल का ही जमा होना दर्शाया गया है।

9. बहस के दौरान अधिवक्ता अभियुक्त के आगे यह तर्क रहे है कि अग्रेषण–पत्र प्रदर्श पी–26 में वाहक का नाम तथा संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। ऐसे में प्रकरण में लिए गए कथित सैंपल एफएसएल जांच हेतु किस अग्रेषण पत्र के जरिये व कब प्रेषित किए गए, यह स्पष्ट नहीं है। साक्ष्य सफाई में पेश दस्तावेज लिखित रिपोर्ट प्रदर्श डी–3 में अभियुक्त के द्वारा पीड़िता के साथ लड़ाई–झगड़ा करना ही अंकित किया गया है, जिस रिपोर्ट को पेश करने के संबंध में पीड़िता के जेठ ने स्वीकारोक्ति की है तथा अभियोजन साक्षी के गवाह पी0ड0–1 नरेश कुमार ने भी अपनी प्रतिपरीक्षण में उक्त रिपोर्ट प्रदर्श डी–1 को दिनांक 15–4–2025 को पीड़िता के जेठ द्वारा पुलिस थाना नावां में पेश करना व जिस रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही किए जाने की स्वीकारोक्ति की है। ऐसे में प्रार्थी पक्ष व अभियुक्त के मध्य लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 के पूर्व से ही मन–मुटाव व रंजिश की साक्ष्य पत्रावली में मौजूद है, जिसके चलते प्रार्थी पक्ष द्वारा अभियुक्त को गंभीर अपराध में फंसाने की नियत से सलाह मशवरा कर रिपोर्ट पेश की गई है, जो गवाहान की साक्ष्य के आधार पर साबित नहीं है। प्रकरण में पीड़िता के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने से उसके बयान न्यायालय में लेखबद्ध नहीं हो सके हैं। पीड़िता के बयानों के अभाव में जो शेष साक्ष्य हैं, वह अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त करार किए जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

1. **Narender kumar vs state (NCT OF DELHI) Citation : 2012 Cr.L.R. (SC) 590**

2. **Ramdhan Vs State of Rajasthan S.B. Crl. Appeal NO. 269 of 1986,**
3. **2011 (Suppl) Cr.L.R. (SC) Page 562, Sunil kumar Sambhudayal Gupta (DR.) & Ors. Vs State of Maharashtra.**
4. **2007 Cr.L.R. (SC) Page 851, Ramesh Baburao devaskar & Ors. Vs State of Maharastra.**
5. **2021 CRI. L.J. (Noc) Page 782 (HP), Sanjeev Kumar Vs State of HP.**

10. इसके विपरीत विद्वान अभियोजन अधिकारी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि प्रकरण की पीड़िता मानसिक रूप से अस्वस्थ है तथा उसकी मेंटल स्टेट्स एग्जामिनेशन रिपोर्ट प्रदर्श पी–8 के अनुसार पीड़िता में 90 प्रतिशत तक Intellectual Disablity(बौद्धिक अक्षमता) पाई गई है। पीड़िता की साक्ष्य के अभाव में पत्रावली पर उपलब्ध शेष साक्ष्य जिसमें विशेष तौर पर पीड़िता के जेठ द्वारा घटना का बनाया गया वीडियो आर्टिकल–1 पैनड्राईव तथा उसके संबंध में मुर्तिब की गई फर्द विश्लेषण रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 के आधार पर अभियुक्त के द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया जाना प्रमाणित है। इस संबंध में पीड़िता का जेठ प्रकरण का चक्षुदर्शी साक्षी है, जिसने न्यायालय में भी अभियुक्त द्वारा आरोपित अपराध किये जाने के संबंध में ठोस साक्ष्य दी है। दौराने अनुसंधान पीड़िता व अभियुक्त के लिए गए सैंपल व कपड़ों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में प्रेषित करने पर, विधि विज्ञान प्रयोगशला की रिपोर्ट प्रदर्श पी 28 के आधार पर अभियुक्त द्वारा आरोपित अपराध करना प्रमाणित होता है। अभियुक्त द्वारा प्रार्थी पक्ष के साथ पुरानी रंजिश के कारण अपराध कारित किया है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध करार दिया जावे।

11. उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया जाकर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। न्यायालय के समक्ष इस प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न विचारणीय बिन्दू है :–

1. **क्या अभियुक्त ने दिनांक 14.04.2025 को रात्रि लगभग 11:09 बजे ग्राम खारडिया में परिवादी की पत्नी, जो कि मंदबुद्धि की है, को उसके रहवासी मकान से जबरन अन्यत्र ले जाकर उसकी इच्छा व सहमति के बिना दुष्कर्म कारित किया तथा पीड़िता व उसके पति**

को धमकियां देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

2. **यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा"?**

विचारणीय प्रश्न संख्या–1

12. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न संख्या–1 के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में कुल 15 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी परिवादी पी0ड0–2 पीड़िता का पति ने वक्त घ टना दिनांक 14.04.2025 को फतहपुर, जिला सीकर में निवासरत रहते हुए कृषि का कार्य करना, अपनी पत्नी का मंदबुद्धि होना, तथा उसकी पत्नी व बच्चे नावां में रहकर जीवनयापन करना बताया है। दिनांक 18–4–2025 को जब वह गांव पहुंचा, तब उसे पता चला कि सुखाराम निवासी खारडिया उसकी पत्नी को पकड़कर बवलियों में लेगया और उसके साथ गलत काम किया तथा उसके भाई ने इसका वीडियो बनाया एवं सुखाराम उसके भाई को देखकर भाग गया। रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 व प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 एवं घटनास्थल का मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 पर उसके हस्ताक्षर है।

13. उक्त घटना के चश्मदीद साक्षी गवाह पी0ड0 10 पीड़िता का जेठ है, ने वक्त घटना उसका पीड़िता के पति का खेत पर कार्य करने सीकर गया हुआ होना तथा दिनांक 14.04.2025 की रात्रि 11:10 को पीड़िता घर के बाहर चबुतरी पर सो रही होना बताया है। जब वह पेशाब करने के लिए बाहर गया तो उसने देखा कि उसके भाई की पत्नी चबुतरी पर मौजूद नहीं थी। तत्पश्चात् वह उसको ढूंढने के लिये निकाला, तब उसे सुखाराम व पीड़िता पुलिया के पास मिले तथा दोनों के कपड़े खुले हुये थे। उसने पास जाकर विडियो बनाया। पुलिस द्वारा घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी–3 मुर्तिब किया था। फर्द पेशकशी एवं विश्लेषण पेन ड्राईव प्रदर्श–4 है, धारा 63 भाग (4)(ग) का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–12 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। उसका फोन ट्रैक्टर के टायर के नीचे आकर टूट गया इसलिए वह फोन पुलिस को नहीं दे पाया, जिसका प्रार्थना पत्र थाने पर प्रस्तुत किया गया जो प्रदर्श पी 13 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। गवाह पी0ड0 11 पीड़िता की

सास ने उसका बड़ा लड़का पीड़िता का पति सीकर खेती करने के लिए गया हुआ होना, उसकी पत्नी का मंदबुद्धि होना, दिनांक 14.04.2025 की रात को वह पड़ौस में शादी में गई हुई होना जब वह घर आई तो उसे पीड़िता नहीं मिलने पर उसका छोटा लड़का पीड़िता को ढूंढने गया, जिस पर रेलवे के पुल के नीचे सुखाराम व पीडिता मिले, जिनका गलत काम करते हुए का ने वीडियों बना लिया होना, उसके पश्चात् सुखाराम वहां से भाग गया। फिर पीड़िता को वे घर पर लेकर आ गये, पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं नक्शा मौका मूर्तिब किया गया जो प्रदर्श पी 03 है, जिसके एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है।

14. गवाह पी0ड0 03 संदीप ने कथन किया कि दिनांक 17–06–2025 को पैन ड्राईव फर्द पेशकशी एवं फर्द विशलेषण अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुर्तिब की जो प्रदर्श पी–4 है, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–5 एवं फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी–6 पर उसके हस्ताक्षर है। गवाह पी0ड0 04 महेन्द्र ने फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–5, फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी–6 पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। गवाह पी0ड0 05 गुंजन कुमार ने नांक 23–6–2025 को प्रकरण संख्या 93/2025 में शील्डशुदा कुल 07 पैकेट जो एमओ द्वारा चिकित्सीय परीक्षण के दौरान लिए गए थे, को मय थानाधिकारी के अग्रेषणपत्र लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, डीडवाना–कुचामन पहुंचकर उसी दिन अग्रेषण–पत्र तैयार करवा कर उक्त शील्डशुदा आर्टिकल को दिनांक 24–6–2025 को एफएसएल कार्यालय, अजमेर में जमा करवा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर उसी दिन मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द करना बताया है। गवाह पी0ड0 07 सुनिल ने फर्द पेश्कशी एवं विशलेषण प्रदर्श पी–4 पर उसके हस्ताक्षर है।

15. गवाह पी0ड0 06 डॉ अशोक ने दिनांक 17–6–2025 को राजकीय चिकित्सालय, नावां में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुए पुलिस प्रतिवेदन पर अभियुक्त सुखाराम का पुरूषत्व संबंधी परीक्षण करने, अभियुक्त की लार तथा खून का सैम्पल लेकर उक्त सैम्पलों को पुलिसवालों को सुपुर्द करने की साक्ष्य दी है। पी0ड0 08 डॉ चरण सिंह ने कथन किया कि दिनांक

23.04.2025 को जेएलएन अस्पताल अजमेर में मनोचिकित्सक के रूप में कार्यरत होकर उस दिन पुलिस थाना नांवा के अनुसंधान अधिकारी द्वारा पीड़िता को मनोचिकित्सकिय परीक्षण के लिए उक्त अस्पताल में भर्ती करवाया था। पीड़िता का बोर्ड द्वारा परीक्षण कर मनोचिकित्सकिय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–8 मुर्तिब की गई। मेडिकल बोर्ड की राय अनुसार पीड़िता (90 प्रतिशत) इन्टलेच्यूअल डिस्ऐबल है। प्रदर्श पी–8 पर आई से जे मेडिकल बोर्ड की राय अंकित है। पीड़िता का डिस्चार्ज टिकिट प्रदर्श पी–9 होना बताया है। गवाह पी0ड0 09 डॉ अनिता कुमारी ने दिनांक 19.04.2025 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोविन्दी में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुए पीड़िता का बलात्संग सम्बन्धी मेडिकल का रिपोर्ट दिलाने बाबत् पत्र प्राप्त होने पर प्रदर्श पी–10, पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–11 पर उसके हस्ताक्षर होने एवं पीड़िता के साथ जबरदस्ती/बल प्रयोग किए जाने के कोई साईन नहीं होने एवं फाईनल राय एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर रिजर्व रखी गई होना बताया है।

16. गवाह पी0ड0 12 श्रीमती कामाक्षी ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी के पद पर नियुक्त रहते हुये दिनांक 12.05.2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 93/2025 पुलिस थाना नावां की पत्रावली में पीड़िता के धारा 183 बीएनएसएस के तहत बयान लेखबद्ध करवाने हेतु अन्वेषणाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पीड़िता द्वारा बयान देने में सक्षम नहीं होने के कारण पीड़िता के बयान लेखबद्ध नहीं किये जा सकने की साक्ष्य दी।

17. गवाह पी0ड0 14 शंकरलाल ने दिनांक 23.06.2025 को प्रकरण में जब्तसुदा आर्टिकल को मालखाना रजिस्टर की मद संख्या 218/2025 पर इंद्राज करने पुलिस अधीक्षक कार्यालय डीडवाना के नाम से जारी किये अग्रेषण पत्र को गुंजन कुमार कांस्टेबल को देकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिये रवाना किया। जिसने उक्त शील्डसुदा आर्टिकल का क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला अजमेर में दिनांक 24.06.2025 को जमा करवाकर रसीद दिनांक 24.06.2025 को पेश की जिस उसने अनुसंधान अधिकारी का सुपुर्द कर

दिया। मालखाना रजिस्टर की फोटोप्रति प्रदर्श पी 34 ए है।

18. गवाह पी0ड0 01 नरेश कुमार ने दिनांक 19–4–2025 को पुलिस थाना, नावां में थाना प्रभारी के पद पर कार्यरत रहते हुये परिवादी परसाराम पुत्र दुरजा राम, निवासी खारड़िया द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या–93 / 2025 अन्तर्गत धारा 64(1), 351(2) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज कर थानाधिकारी नन्दलाल के जिम्मे किया। रिपोर्ट प्रदर्श पी –01 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 पर उसके डिजिटल हस्ताक्षर एवं परिवादी परसाराम के हस्ताक्षर है।

19. अनुसंधान अधिकारी गवाह पी0ड0 13 नन्दलाल ने परिवादी द्वारा थाना हाजा पर पेश रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 पर प्रकरण संख्या 93 / 2025 धारा 64(1),351(2) बीएनएस में दर्ज किया कर गवाहान के दौराने अनुसंधान बयान लेखबद्ध करने, अभियोक्त्री का मेडिकल करवाया जाकर रिपोर्ट प्रदर्श–11 को शामिल पत्रावली करने, अभियोक्त्री का मंदबुद्धि सम्बन्धित मेडिकल वास्ते तहरीर उसके द्वारा अधीक्षक जेएलएन अस्पताल को प्रदर्श पी–19 देने, जिस पर मेडिकल कॉलेज द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन करने व अभियोक्त्री का मंदबुद्धि सम्बन्धित मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–8 शामिल पत्रावली करने दौराने अनुसंधान गवाह गौरीशंकर द्वारा पेश पेन ड्राईवर को सील पैक करने, जिसकी फर्द विश्लेषण तैयार करने, फर्द पेशकशी बाबत धारा 63(4)(ग) का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 12 को शामिल पत्रावली करने तथा परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का नक्शामौका मुर्तिब कर पीड़िता के धारा 183 बीएनएनएस के बयान एसीजेएम, कुचामनसिटी से करवाया जाकर शामिल पत्रावली करने की साक्ष्य दी है। अनुसंधान से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध धारा 64(1)(ट),351(2) भारतीय न्याय संहिता का अपराध प्रमाणित होने से उसे जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पुरूषत्व संबंधी मेडिकल करवाने हेतु तहरी दी जो प्रदर्श पी 24 जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी 07 है। दौराने अनुसंधान धारा 23(2) साक्ष्य अधिनियम की इत्तला पर अभियुक्त की निशादेही से नक्शा मौका, हालात मौका मुर्तिब किया गया जो प्रदर्श पी 06 है। दौराने अनुसंधान पीड़िता व अभियुक्त

का एमओ द्वारा एफएसएल परीक्षण हेतु दिये गये नमूना सैम्पल को अग्रेषण पत्र से एफएसएल भिजवाया गया, जिसकी एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 28 है।

20. प्रकरण की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में पीड़िता ''(च)'' को दिमाग से मंदबुद्धि होना बताया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के प्रार्थी पी0ड0 02 पीड़िता ''(च)'' के पति ने अपने सशपाथ परीक्षण में उसकी पत्नी मंदबुद्धि होने के कथन किये है। इसी आशय की साक्ष्य पी0ड0 11 पीड़िता ''(च)'' की सास ने भी दी है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी0ड0 13 नंदलाल ने मन्दबुद्धि संबंध में मेडिकल हेतु अधीक्षक जेएलएन अस्पताल को तहरीर प्रदर्श पी 19 जारी करना कथन किया और उक्त तहरीर के अनुक्रम में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई रिपोर्ट प्रदर्श पी 08 के संबंध में पी0ड0 08 डॉ चरणसिंह ने साक्ष्य देते हुए उक्त रिपोर्ट प्रदर्श पी 08 पर ए से बी उनके हस्ताक्षर है। मेडिकल बोर्ड की राय के अनुसार पीड़िता 90 प्रतिशत इन्टलेच्यूअल डिस्ऐबल पायी गयी।

21. इस क्रम में पी0ड0 12 श्रीमती कामाक्षी ने यह कथन किया कि प्रकरण में पीड़िता ''(च)'' को धारा 183 बीएनएसएस के तहत बयान लेखबद्ध करने हेतु प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा पेश करने पर गवाह अपने बयान देने में सक्षम नहीं पाई गई, जिसके कारण उसने बयान लेखबद्ध नहीं किये गये, जिस आशय का अंकन गवाह द्वारा निष्पादित की गई आदेशिका प्रदर्श पी 15 व गवाह के बयान प्रदर्श पी 14 में भी किया गया। इसी क्रम में पीड़िता को बयान हेतु न्यायालय हेतु तलब करने पर पीड़िता ने पी0ड0 15 के रूप में न्यायालय उपस्थित आई। परंतु बार–बार पूछे जाने पर भी गवाह ने पूछे गये प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर गवाह के बयान न्यायालय द्वारा भी लेखबद्ध नहीं किये जा सके। उक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण की पीड़िता ''(च)'' का मानसिक रूप से अस्वस्थ होकर स्वयं के साथ घटी कथित घटना का वृतांत देने के अयोग्य पाया जाता है।

22. अब न्यायालय को यह देखना है कि प्रकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह पीड़िता ''(च)'' की साक्ष्य के अभाव में ''**क्या अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसी**

सारभूत व ठोस साक्ष्य पत्रावली पर पेश की गई, जो अभियुक्त को आरोपित अपराध में संदेह से परे आलिप्त करने की प्रकृति की है?''

23. उक्त परिप्रेक्ष्य में घटना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह पी0ड0 10 पीड़िता ''(च)'' के जेठ ने स्वयं के द्वारा घटना को देखे जाने की साक्ष्य देते हुए अभियुक्त सुखाराम व पीड़िता का पुलिया के पास मिलना, दोनों के कपड़े खोले हुए होकर सुखाराम का पीड़िता के उपर होना और गवाह द्वारा घटना का वीडियों बनाया जाना कथन किया। गवाह ने यह भी कहा कि उसके द्वारा बनाये गये वीडियों को उसने पैनड्राइव में पुलिस को सुपुर्द किया, जिसकी फर्द पेशकसी व विश्लेषण प्रदर्श पी 4 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त पैन ड्राईव को प्रकरण के अन्वेषण अधिकारी पी0ड0 13 नंदलाल ने आर्टिकल 01 होना बताया, जिसकी रिकॉर्डिंग देखने पर उसमें प्रदर्श पी 04 पेशकसी व विश्लेषण प्रदर्श पी 04 पर जी से एच भाग में वर्णितानुसार सफेद शर्ट पहने हुए व्यक्ति को पेन्ट पहनते हुए दर्शाया हुआ है। प्रकरण हाजा की पीड़िता ''(च)'' को पास बैठे हुए होकर और कपड़े पहनते हुए दर्शाया गया है। इस प्रकार उक्त पैनड्राईव में दर्शाये गये व्यक्ति को पी0ड0 10 पीड़िता ''(च)'' के जेठ ने अभियुक्त सुखाराम होना बताया है। गौरतलब है कि उक्त फर्द पेशकसी व विश्लेषण पैनड्राईव जो हस्तगत प्रकरण में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में है, के संबंध में गवाह पी0ड0 10 यह कथन करता है कि जिस फोन से उसने यह वीडियों बनाया वह ट्रैक्टर के टायर के नीचे आकर टूट गया, जिसके कारण वह मोबाईल फोन पुलिस को दे नहीं सका। इस आशय का प्रार्थना पत्र उसने पुलिस थाने में प्रस्तुत किया, जो प्रदर्श पी 13 है। इस प्रकार गवाह की साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में प्रदर्श पी 13 का अवलोकन करे तो उसमें फोन गुम हो जाने के कारण फोन पेश नहीं कर सकना बताया है। इस प्रकार जिस फोन से कथित घटना का वीडियों गवाह द्वारा बनाया गया, वह फोन प्राथमिक साक्ष्य होकर दौराने अनुसंधान पेश नहीं होने का यथोचित कारण गवाह ने जो अपनी साक्ष्य में जाहिर किया है। वह कारण पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना नावां को दिये गये प्रार्थना पत्र में प्रदर्श पी 13 में वर्णित नहीं है।

---

24. फर्द पेशकसी प्रदर्श पी 04 के गवाह पी0ड0 03 संदीप ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पीड़िता का जेठ पी0ड0 10 पैनड्राईव कहा से तैयार करवाया उसने यह अनुसंधान अधिकारी को उसके समक्ष नहीं होना बतायी। प्रदर्श 04 तैयार करते समय कोई मोबाईल अनुसंधान अधिकारी को नहीं दिया गया। पी0ड0 10 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया कि जिस दुकानदार से उसने अपना पैनड्राईव तैयार कराया था उस दुकानदार का नाम वह नहीं बता सकता। इस प्रकार प्रकरण के अन्वेषण अधिकारी पी0ड0 13 नंदलाल ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि पीड़िता के जेठ ने पैनड्राईव कहॉ से खरीदी उसका भी कोई साक्षी उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त पैनड्राईव किससे तैयार करवाया उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया, गवाह ने इस आशय की स्वीकारोक्ति की कि पी0ड0 10 पीड़िता के जेठ ने उसके समक्ष कोई मोबाईल प्रस्तुत नहीं किया। केवल आर्टिकल–1 पैन ड्राईव को पेश किया था। गवाह ने इस आशय की स्वीकारोक्ति की है कि वह नहीं बता सकता कि आर्टिकल 01 कैसे तैयार करवाया है। इस प्रकार जहां पी0ड0 10 उसके मोबाईल फोन का ट्रेक्टर के नीचे आकर टूट जाने की साक्ष्य अपने प्रतिपरीक्षण देता है। वहीं थानाधिकारी पुलिस थाना नावां को पेश पत्र प्रदर्श पी 13 फोन गुम हो जाने के संबंध में कथन करता है। उक्त विरोधाभाष तब अधिक महत्पपूर्ण हो जाता है, जब प्रकरण में पैनड्राईव तैयार करने वाले गवाह के संबंध में पी0ड0 10 कोई कथन नहीं करता है, न ही प्रकरण के अन्वेषण अधिकारी उक्त व्यक्ति की जानकारी के संबंध में कोई संपुष्टि कारक साक्ष्य देता है तथा उक्त विरोधाभाष तब अधिक महत्पपूर्ण हो जाता है जब पक्षकारान के मध्य पूर्व के विवाद की साक्ष्य मौजूद हो।

25. इसी क्रम में गवाह द्वारा पेश की गई पैनड्राईव फर्द आर्टिकल–1 विश्लेषण मोबाईल रिकॉडिंग प्रदर्श पी 04 में अभियुक्त का पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की कोई रिकॉर्डिंग दर्शित नहीं है। पी0ड0 10 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने दिनांक 14.04.2025 को जिस घटनाक्रम का वीडियो बनाया उसकी पुलिस थाना नावां में कोई लिखित व मौखिक रिपोर्ट

नहीं की। उसने पुलिस थाना नावां में प्रदर्श डी 03 तारीख 15.04.2025 को दी थी, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श डी 3 में अभियुक्त द्वारा गवाह की भाभी पीड़िता ''(च)'' के साथ गाली–गलौच करना व लड़ाई–झगड़ा करने पर उतारू होने पर कार्यवाही किये जाने का थानाधिकारी पुलिस थाना नावां शहर को निवेदन किया गया, जिसके संबंध में पी0ड0–1 नरेश कुमार ने भी यह कथन किया है कि पीड़िता के जेठ के द्वारा दिनांक 15.04.2025 को कानूनी कार्यवाही के संबंध में दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर उसने कार्यवाही की थी, गैर सायल सुखाराम को धारा 126, 170 भारतीय सुरक्षा संहिता में गिरफ्तार कर उपखण्ड अधिकारी नावां के समक्ष पेश किया था। गवाह ने आगे यह भी कथन किया कि परिवाद के जांच के दौरान परिवादी द्वारा मोबाईल से बनाये गये वीडियों/फोटो मोबाईल को उसके समक्ष पेश नहीं किया गया।

26. इसी प्रकार प्रकरण की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 जो टाईपशुदा होकर कथित घटना के चार दिन के पश्चात् दिनांक 18.04.2025 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुचामन सिटी को पेश की गई, में रिपोर्ट देरी से पेश करने का कोई भी कारण वर्णित नहीं किया गया, जिसके संबंध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से पेश न्यायिक दृष्टांत **S.B. Crl. Appeal NO. 269 of 1986, Ramdhan Vs State of Rajasthan** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि :–

> **"Delay of more than two days in lodging report No satisfactory explanation for delay was fatal to prosectution."**

27. इस प्रकार हस्तगत प्रकरण जो एक गंभीर प्रकृति के अपराध से संबंधित है, में प्रकरण के परिवादी द्वारा चार दिन पश्चात् देरी से लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 पेश करना, जबकि की गई देरी का कोई संतोषजनक कारण लिखित रिपोर्ट में जाहिर नहीं करना मामले को संदेहास्पद तब अधिक बनाता है, जबकि कथित घटना दिनांक 14.04.2025 के एक दिन पश्चात् पीड़िता ''(च)'' के जेठ द्वारा संबंधित पुलिस थाना नावां में पीड़िता के साथ अभियुक्त के द्वारा गाली–गलौच करने व मारपीट करने पर उतारू होने की लिखित

रिपोर्ट पेश कर कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया हो।

28. इस प्रकार यदि पीड़िता के जेठ पी0ड0 10 द्वारा कथित घटना का वीडियों अपने मोबाईल से बनाया गया होता तो वह दिनांक 15.04.2025 की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श डी 03 में ही पीड़िता के साथ अभियुक्त द्वारा कथित दुष्कर्म का अंकन कर उक्त वीडियों के संबंध में भी कथन करता। परंतु लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 के प्रार्थी पी0ड0–10 द्वारा उक्त किसी प्रकार की साक्ष्य सामग्री को परिवादी की जांच में पेश नहीं करना न ही अपने मोबाईल को संबंधित थानाधिकारी के समक्ष पेश नहीं कर सकने का कोई भी विश्वसनीय व ठोस कारण जाहिर करना, प्रार्थी पक्ष व अभियुक्त के मध्य की पूर्व की पृष्ठभूमि के संबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

29. इसी क्रम में प्रकरण के प्रार्थी पीड़िता के पति पी0ड0 02 ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में अपनी पत्नी के साथ घटी कथित घटना की जानकारी दिनांक 18.04.2025 को घर पहुंचने पर पता चलना बताया है, जिसके संबंध में न्यायालय का यह विनम्र मत है कि कथित घटना घटित हुई होती तो तुरंत पीड़िता के पति को इस संबंध में सूचित किया जाता, परंतु पीड़िता का पति सर्वप्रथम घटना की जानकारी उसे घर आने पर मिलना बताता है, जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में माने जाने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त यह गवाह यह स्वीकार करता है कि उसके मकान के आस–पास काफी मकान आये हुए है, परंतु पीड़िता को अभियुक्त के द्वारा अपने साथ पुलिया के नीचे तक ले जाते हुए किसी भी आस–पड़ौस के व्यक्ति द्वारा नहीं देखना भी मामले में संदेह पैदा करता है।

30. प्रकरण में अन्वेषण अधिकारी पी0ड0 13 नंदलाल ने दौराने अनुसंधान पीड़िता व आरोपी के मेडिकल ऑफिसर द्वारा एफएसएल परीक्षण हेतु लिये गये नमूना सैंपल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में प्रेषित करने के कथन किये है,जिस अग्रेषण पत्र का प्रदर्श 26 व उसकी पावती रसीद प्रदर्श 27 होकर प्रकरण की एफएसएल रिपोर्ट का प्रदर्श पी 28 होना कथन किया। प्रकरण में लिये गये आर्टिकल को गवाह पी0ड0 14 शंकरलाल ने मालखाना रजिस्टर में दर्ज करने के कथन किये और यह भी स्पष्ट किया कि उसने

मालखाना रजिस्टर प्रदर्श 34 के मद संख्या 218 / 2025 पर प्रकरण में जब्त किये गये आर्टिकल को दर्ज किया था। गवाह प्रकरण में लिये गये आर्टिकल को गुंजन कुमार कांस्टेबल द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय डीडवाना कुचामन से अग्रेषण पत्र बनवाकर सीलशुदा आर्टिकल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला अजमेर में दिनांक 24.06.2025 को जमा करवाकर रसीद पेश करने के कथन किया। उक्त गवाह की साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में गवाह पी0ड0 05 गुंजन का अवलोकन करे तो यह गवाह प्रकरण में सीलशुदा कुल सात पैकेटों जो एमओ द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण हेतु लिये गये को दिनांक 24.06.2025 को एफएसएल कार्यालय अजमेर में जमा करवाने की साक्ष्य देता है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी 34 का अवलोकन करे तो मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति में क्रम संख्या में कांट–छांट की गई है तथा उक्त मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रकरण में तीन आर्टिकल ही मालखाना में जमा किए जाकर रजिस्टर में दर्ज किया जाना पाया जाता है। इस प्रकार प्रकरण में अन्वेषण के दौरान सात आर्टिकलों को जब्त किया गया अथवा मालखाना रजिस्टर की प्रति के अनुसार तीन आर्टिकल जब्त किये, इसमें गंभीर रूप से विरोधाभाष विद्यमान है। इस अनुक्रम में अग्रेषण पत्र प्रदर्श 26 के तहत किस दिनांक व क्रमांक से प्रकरण में जब्त बताये गये आर्टिकल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में प्रेषित करने हेतु अग्रेषण पत्र बनाया गया, इसका विवरण अंकित नहीं है, न ही उक्त अग्रेषण–पत्र सक्षम प्राधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित है।

31. इसके अतिरिक्त उक्त अग्रेषण पत्र के क्रम संख्या तीन पर मेडीकल ज्यूरिष्ट रा0चि0 नावां के पत्रांक 54 / 19.4.2025 एवं बिंदू संख्या 4 में पीड़िता सुश्री रेखा की मेडिकल रिपोर्ट का अंकन किया है, न ही बिन्दू संख्या 4 में विशेष वाहक अग्रेषण पत्र दर्ज है। प्रकरण के अन्वेषण अधिकारी ने दौराने साक्ष्य उक्त बिन्दू संख्या 04 के अंकन व क्रम संख्या 04 में विशेष वाहक के नाम से कोई नाम अंकित नहीं होने का स्पष्टीकरण नहीं दिया है। ऐसे में प्रकरण में जिन नमूना सैंपल को लिया जाना बताया है, वह वास्तव में हस्तगत प्रकरण के नमूना सैंपल है, यह पत्रावली पर उपलब्ध उक्त साक्ष्य के अनुक्रम

में साबित नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अवधारणीय प्रश्न को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त सुखाराम को आरोपित धाराओ में संदेह का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:– आदेश :–

32. अतः अभियुक्त सुखाराम पुत्र हनुमानराम, निवासी बावरियों की ढाणी, खारडिया हाल मजदूर कॉलोनी नावां शहर पुलिस थाना नावां शहर जिला डीडवाना कुचामन को अपराध **धारा 64(2)(ट), 351(2) भारतीय न्याय संहिता** के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** किया जाता है।

33. अभियुक्त के पूर्व में नियमित उपस्थित बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है। प्रत्येक अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437ए (481 बी.एन.एस.एस.) के तहत बीस हजार रूपए का मुचलका एवं इसी कदर राशि की मौतबीर जमानत छः माह की अवधि हेतु पेश कर तस्दीक करावे।

34. प्रकरण में जब्तसुदा वजह सबूत, पार्चेजात व अन्य कोई सामान बरामद किया गया हो तो बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावे। अभियुक्त के द्वारा धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत प्रस्तुत जमानत मुचलके की समयावधि आज से 06 माह की अवधि अथवा अपील दायर होने तक, जो भी पहले हो, रहेगी।

35. इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। इसलिये हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसरण में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना में पीड़ित को प्रतिकर दिलाए जाने की अनुशंसा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

(कुसुम सुत्रकार)
अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामनसिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन(राज0)

36. निर्णय आज दिनांक 11–8–2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुम सुत्रकार)
अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामनसिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन(राज0)